"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2014— श्रावण 30, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी. 136/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2क) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, दो वर्ष से अधिक समय पूर्व प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार कर सकेगी."

अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की का नाम	मुख्य परिसर स्थापना की प्रक्रिया	क्षेत्राधिकार (मुख्यालय)	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन.	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस-30655 सन् 1996, दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कला, • विज्ञान, • वाणिज्य, • इंजीनियरिंग, • नैनो-टेक्नोलॉजी, • व्यवसाय प्रबंधन, • विधि, • हॉटल मैनेजमेंट, • फैशन डिजाईनिंग, विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	ओ. पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी	जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक बी. एस. 2171, दिनांक 4-5-1998.	ओ. पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी संकाय, • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय, • विज्ञान संकाय, • शिक्षा संकाय, • शारीरिक शिक्षा संकाय"

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी. 136/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2014)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 9.

2. After sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), to establish a private university under sub-section (1) of this Section, the State Government may also consider any application submitted before the period of more than two years."

Amendment of Schedule. 3. In the Schedule to the Principal Act, after serial number 5, the following serial number and entries relating therto, shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6.	Amity University	Shri Ritnand Balved International Education Foundation	The society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) Registration No. S-30655 of 1996, dated 19-12-1996.	Vallage-Manth Tahsil-Tilda District-Raipur Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research courses in - • Arts, • Science, • Commerce, • Engineering, • Nano-technology, • Business Management, • Law, • Hotel Management, • Fashion Designing.
7.	O. P. Jindal University	Jindal Education and Welfare Society.	The Chhattisgarh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. B. S. 2171, dated 4-5-1998	O. P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathra, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh Chhattisgarh	Chhattisgarh	• Faculty of Engineering & Technology, • Faculty of Management Science, • Faculty of Science, • Faculty of Education, • Faculty of Physical Education"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.